



## कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी (म.प्र.)

**-//आदेश//-**

क्रमांक 199

/ नो.अ./COVID-19/2020

सिवनी, दिनांक- 26/03/2020

जिले में कोरोना (कोविड-19) वायरस के संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर संपूर्ण सिवनी जिले में लॉकडाउन की स्थिति के दौरान आमजनता को दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता एवं वितरण सुनिश्चित कराये जाने हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है:-

स.क्र.	नाम अधिकारी/कर्मचारी एवं पदनाम	कार्य का विवरण
1	2	3
1	1. श्री सनत कुमार मिश्रा जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी 2. श्री संदीप मिश्रा जिला प्रबंधक लोक सेवा	खाद्य एवं राशन सामग्री, डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस व किराना सामग्री की आपूर्ति एवं उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित कराना।
2	1. डॉ. श्री राजेश ठाकुर सहायक संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें 2. श्रीमति पायल, चिलिंग प्लांट सिवनी 3. समस्त वि.खं. स्तरीय सहा.पशुचिकित्सा अधिकारी	आम जनता को दूध की आपूर्ति एवं पशुओं के लिये पशु आहार, दवाईयाँ आदि की पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित कराया जाना।
3	1. समस्त CMO नगर पालिका/नगर परिषद जिला सिवनी 2. समस्त CEO जनप्रद पंचायत, जिला सिवनी 3. श्री संदीप मिश्रा जिला प्रबंधक लोक सेवा	आम नागरिकों को फल एवं सब्जियों उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना।
4	1. श्री एस.के. धुर्वे उप संचालक कृषि विभाग जिला सिवनी 2. समस्त अ.वि.अ. कृषि विभाग	कृषकों को खाद, बीज, दवाई एवं कृषि कार्य हेतु आवश्यक अन्य सामग्रियों की आपूर्ति कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना।

उक्त अधिकारीगण अपने कार्यालय के 02-02 अधिकारी/कर्मचारियों को अपने सहयोग हेतु नियुक्त करेंगे; जो इनके साथ-साथ इयटी पर कर्तव्य माने जायेंगे, जो कि तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

  
(प्रवीण सिंह)  
कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-सिवनी

क्रमांक/ 2199-A /नो.अ./COVID-19/2020

सिवनी, दिनांक- 26/03/2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला मण्डला/बालाघाट/जबलपुर/नरसिंगपुर/छिन्दवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक जिला सिवनी की ओर प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिवनी की ओर प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी कोरोना (कोविड-19) संक्रमण रोकथाम जिला सिवनी की ओर प्रेषित।
6. समस्त कार्यालय प्रमुख जिला सिवनी की ओर प्रेषित।
7. सहायक संचालक, जनसंपर्क जिला सिवनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. सर्व सम्बंधित;..... की ओर पालनार्थ।



कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-सिवनी